

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 24 अ-82/2019-20 मौजा-काठी (नंहर) 1927 • बैतूल दिनांक 13/02/2020

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है; इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1


जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमैला	काठी	0.984	काठी लघु जलाशय

**अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)**

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	228/4	0.347	0.039	पंजाबराव वल्द राधेलाल जाति भोयर
2	210	0.502	0.045	मौजी सावन्धा व. दमड्या दया लालजी व. धनजी
3	196/1	2.008	0.064	भावजी व. भिलू बटनी पिता भिलू तेजी छोटे नान्हू राधाई बेवा बिरजू दशिया जौजे विनोदी धोगी बेवा बाजी बाला रामा भिकारी व. बाजी जैतल
4	199	0.623	0.035	रावजी सुतारी हिराजी व. किसन
	198	0.158	0.042	
	197/2	0.288	0.029	
5	135/1	1.307	0.056	फकीर व. शोभ मैना बेवा शोभ देवना सूमन इमल पिता शोभा सिगली देवाली मुन्ना जगदीश व. घुड़िया कारी पिता घुड़िया
6	135/2	0.87	0.056	रामजी रामबाल देवलाल नानकराम प्रहलाद व. धून्डू शांता दुर्गा पिता धून्डू
7	141	1.287	0.047	रतन बलराम बाबू कला कचरा बकू पिता सुरजा
8	145	0.243	0.070	शिवराम चैतराम व. परसू
9	147	1.125	0.042	सुकी पिता गोपाल पन्ना व. गणेश मैतूल पिता धना जाति पंवार
10	149/1	1.071	0.098	रावजी पिता किशन भिकारी सुडक्या व. नान्हू
11	78	1.716	0.103	सुदर अंधी बेवा गनाजी सुकी मंजीरा निर्मला लल्ली मीरा पिता गनाजी
12	79/1	0.126	0.015	नस्थिया वल्द बाजीलाल पारनी पुरनी सुका करखा पिता बाजीलाल
13	79/2	0.125	0.015	विरज पुत्र कोन्दु
14	107	3.939	0.124	भागरती जौजे पन्नालाल

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
15	142	0.607	0.037	पुनाजी मनाजी धनराज वल्द शिवराम कविता सरिता अनीता वल्द नानकराम सावनी बेवा नानकराम मीरा नाजो कौतिका लीला जानकी अनु पिता शिवराम मनी झनि मोती कैलाश वल्द चैतराम कचरा काति पिता चैतराम जाति पंवार पता बैतूल मध्यप्रदेश
16	144	0.174	0.015	रामदेवी लाल नानकराम प्रहलाद व. धुन्धु शांता दुर्गा पिता पुन्धु जीतेन्द्र वल्द रामलाल बबली मंजू बाली पिता रामलाल कमल बेवा रामलाल जाति पंवार पता बैतूल मध्यप्रदेश
17	148/1	0.425	0.026	कली व. गुन्डू फुन्दा पुनी पिता गुन्डू जाति पंवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
18	148/4	0.064	0.026	भारत मानिक दशरथ वल्द काशीराम पता सा. देह भूमि स्वामी
महायोग		17.005	0.984	

1. चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।




मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(तेजस्वी एस. नायक)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रतिलिपि :-

- 1 - उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रनालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ ।
- 2 - संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित । कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतिया भी भेजने का कष्ट करे ।
- 3 - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पुटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतिया एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।
- 4 - जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5 - प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 6 - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आमला की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 7 - तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित । प्रति कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल / ग्राम पंचायत पर चस्पा करवाए एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 8 - जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावे ।


अपर कलेक्टर

एवं प्र0अ0 भू-अर्जन, बैतूल

